संख्याः एच(21)ए(3)33/2010–5
शिक्षा निदेशालय(उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला– 171001, 24 सितम्बर, 2011

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्यध्यापक
रा0व0मा0/उ0 पाठशाला, हि0प्र0 ।

विषयः बोर्ड द्वारा संचालित अनुपूरक परीक्षा, सितम्बर,2011 की उत्तर पुस्तिकाओं के सन्दर्भ में ।

ज्ञापनः

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कागड़ा ने अपने पत्र संख्या हि0शिबो(19)गोपनीय–1/स्थल मूल्यां0/9/2011–51479 दिनांक 22.09.2011 के अर्न्तगत अवगत करवाया है कि बोर्ड द्वारा सितम्बर, 2011 में संचालित की गई परीक्षा से सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन "स्थल मूल्यांकन" के माध्यम से किया जाना है जिसके लिये प्रदेश में सात स्थल मूल्यांकन केन्द्र स्थापित किये गए हैं । मूल्यांकन का कार्य एक सप्ताह के भीतर करने के उददेश्य से 303 प्राध्यापकों व 204 अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पत्र भेजे गये हैं । यह कार्य 20.09.2011 से शुरू का दिया गया है । लेकिन अभी तक 30 प्रतिशत अध्यापकों ने अपनी उपस्थिति दी है ।

इस सन्दर्भ में आपके ध्यान में लाया जाता है कि ज्यादातर अनुपूरक परीक्षा से सम्बन्धित विद्यार्थियों ने प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में व्यवसायिक कोर्सों मे प्रोविजनल प्रवेश लिया होता है और वे अपने परिणाम के लिये लगातार बोर्ड से सम्पर्क करते रहते हैं ।

अतः छात्र हित को ध्यान में रखते आपको निर्देश दिये जाते हैं कि बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए सभी प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों को निश्चित समय में कार्यभार मुक्त करें ताकि उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य सुचारू रूप से हो सके । इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा जब भी किसी कार्य के लिए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है तो वे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए अन्यथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें ।

हस्ता/–
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

पृ0सं0 सम दिनांक शिमला–171001 24 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि :–

1. सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला जिला कांगडा को उपरोक्त वर्णित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. रक्षक नस्ति ।

हस्ता/–
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।